

अधिसूचना

गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 की धारा 17 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतद् द्वारा, राज्य के सम्पूर्ण क्षेत्र के लिए नियुक्त समुचित प्राधिकारी हेतु जारी अधिसूचना क्रमांक प 23(2) चि. स्वा./3/2003 पार्ट दिनांक 1.7.03 में क्रम संख्या 3 के लिये समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 02.12.2006 से मनोनीत श्री श्रीनिवास शर्मा, डी.एल.आर. (एल), विधि विभाग, सचिवालय, राजस्थान जयपुर के स्थान पर श्री बृज किशोर गुप्ता, डी.एल.आर. (एल) विधि विभाग, शासन सचिवालय राजस्थान जयपुर को मनोनीत करती है।

राज्यपाल की आज्ञा से

६

(डी.एन.पाण्डे)

उप शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. प्रमुख सचिव, माननीया मुख्य मन्त्री राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, माननीय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. निजी सचिव, माननीय राज्य मन्त्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान सरकार जयपुर।
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।
5. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा, राजस्थान, जयपुर।
6. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
7. निजी सचिव, शासन सचिव (परिवार कल्याण) एवं मिशन निदेशक (एनआरएचएम), राजस्थान जयपुर।
8. निजी सचिव, शासन सचिव, विधि विभाग, राजस्थान जयपुर।
9. निजी सचिव, कुलपति, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
10. संयुक्त सचिव, भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्रालय, निर्माण भवन जयपुर।
11. अवर सचिव, भारत सरकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्रालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली।
12. समस्त जिला कलैक्टर, राजस्थान।
13. अनुभाग अधिकारी, माननीय-सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली।
14. सहायक आयुक्त (पॉलिसी) स्वास्थ्य एवं प0क0 मन्त्रालय, भारत सरकार, निर्माण भवन, नई दिल्ली।
15. निदेशक, जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान जयपुर।

16. निदेशक, पीएनडीटी, भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्रालय, नई दिल्ली।
17. डा० राका कमल, प्रोफेसर (वनस्पति शास्त्र विभाग), राजस्थान विश्व विद्यालय, जयपुर।
18. श्री वृज किशोर गुप्ता, डी.एल.आर. (एल) विधि विभाग, शासन सचिवालय राजस्थान जयपुर।
19. श्री श्रीनिवास शर्मा, डी.एल.आर. वन विभाग, सचिवालय, राजस्थान जयपुर।
20. समस्त उपखण्ड अधिकारी, राजस्थान।
21. निदेशक (जन स्वा०) / (आई.ई.सी.) / (प०क०) / (एडस), मुख्यालय।
22. समस्त प्रधानाचार्य मेडिकल कॉलेज, राजस्थान।
23. समस्त संयुक्त निदेशक (जोन) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, राजस्थान।
24. समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राजस्थान।
25. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राजस्थान।
26. समस्त अति० / उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, (प०क०) / (उपखण्ड) राजस्थान।
27. उप विधि परामर्शी, निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जयपुर।
28. समस्त जिला प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य अधिकारी, राजस्थान।
29. अधीक्षक, राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को भेजकर लेख है कि कृपया इसे आज के असाधारण राजस्थान राजपत्र में प्रकाशित करने का श्रम करें।
30. रक्षित पत्रावली।


उप शासन सचिव